राजस्व अपील संख्या – 64/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/82

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 64/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/82

अपीलांट्स

1. माधो सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
2. बेरीसाल सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
3. जब्बर् सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
4. दीपसिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
5. गजे सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
6. विजय सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
7. भमु कंवर पुत्री श्री नरपत सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम खुडियाला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. जसवंत सिंह पुत्र शैतान सिंह
2. देवी सिंह पुत्र सुरतान सिंह
3. भोम सिंह पुत्र सुरतान सिंह
4. मांगू सिंह पुत्र सुरतान सिंह
5. सुमेर सिंह पुत्र सुरतान सिंह
6. कुंभ सिंह पुत्र सुरतान सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम खुडियाला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

7. राजस्थान राज्य, तहसीलदार, शेरगढ, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध बंटवाडा आदेश कमांक राजस्व/92/563 जो उप तहसीलदार, बालेसर द्वारा दिंनाक 05.08.1992 को पारित किया गया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 64/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/82

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल, श्री भानू (अपीलांट्स की ओर से)
2. प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 29.08.2025

यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत, उप तहसीलदार, बालेसर द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/92/563 दिनांक 05.08.1992 को अपास्त करवाने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 15.07.2024 को पेश हुई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किय गये तथा अधीनसथ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी पोस्ट भेजे गये नोटिसेज, उन्हे प्राप्त होने जाने की पुष्टि, इण्डिया पोस्ट द्वारा जारी ट्रेक कंसाइनमेंट की रिपोर्ट से होती है, जो अपीलांट्स द्वारा पेश की गई है, जो दिनांक 05.03.2025/06.03.2025 को पत्र डिलीवर होने की पुष्टि करती है, परंतु बावजूद नोटिस तामिल के, प्रत्यर्थीगण ने उपस्थित होकर अपना पक्ष इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है तथा न ही उनकी ओर से किसी अधिवक्ता ने उपस्थिति दी है। अतः प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता नरपत सिंह, प्रत्यर्थीगण 2 से 6 तक के पिता सुरतान सिंह व प्रत्यर्थी सं. 1, जसवंत सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 53(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 उप तहसीलदार, बालेसर को इस आशय का पेश किया था कि ग्राम खुडियाला के ख.नं. 991 रकबा 19–04 बीघा, ख.नं. 995 रकबा 68–09 बीघा, ख.नं. 996/1, रकबा 52 बीघा, ख.नं. 1018 रकबा 52–19 बीघा, ख.नं. 1054 रकबा 314–12 बीघा, कुल 227–07 बीघा भूमि आई हुई है, जिसका आपसी सहमति से निम्नानुसार बंटवारा कर लिया है, जिसे मंजूर किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

क.सं.	नाम कृषक	ख.नं.	रकबा (बीघा में)
(अ)	जसवंत सिंह पुत्र शैतान सिंह	991	06–08
		1018	35–15

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

		1054	34–12
	कुल	3	76–15
(ब)	सुरतान सिंह पुत्र अमान सिंह	991	06–08
		995	68–09
	कुल	2	74–17
(स)	नरपत सिंह पुत्र अमान सिंह	991	6–08
		1018	17–04
		996/1	52–00
		990	00–03
	कुल	4	75–15

उक्तानुसार विभाजन उप तहसीलदार बालेसर द्वारां आदेश दिनांक 05.08.1992 से स्वीकार किया है। अपीलांट अनुसार उक्त ख.नं. 995 रकबा 68–09 बीघा भूमि उक्त तीनों सहखातेदार जसवंत सिंह, सुरतान सिंह व नरपत सिंह को आवंटित भूमि थी, परंतु बंटवारा के पश्चात् उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण ख.नं. 995 की संपूर्ण भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर दी गई, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण से निवेदन किया कि बंटवाडे के अनुसार तय की गई भूमि निरस्त हो जाने के कारण, अन्य भूमि में पुनः सहमति से बंटवारा किया जावे, परंतु प्रत्यर्थीगण की नियत खराब हो जाने के कारण, उनके द्वारा अपना हिस्सा बदलने से इन्कार कर दिया गया, जिसके कारण यह अपील आदेश दिंनाक 05.08.1992 को निरस्त करने हेतु पेश की जा रही है। आवंटन की गई भूमि निरस्त होने से एक भाई का रकबा कम हो गया है, तो बंटवारा पुनः किया जाकर, सभी पक्षकारों का रकबा कम किया जाता है।

अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद एक्ट पेश किया है तथा बंटवारा आदेश दिनांक 05.08.1992 को निरस्त किया जाकर, विवादित भूमि पुनः सहखातेदारी में दर्ज की जावे।

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री भानू की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि सहखातेदारी की भूमि का दिनांक 05.08.1992 को बंटवारा हुआ है, जिसमें से ख.नं. 995 रकबा 68–09 बीघा भूमि आवंटित थी तथा शेष पैतृक भूमि थी। बंटवारा होने के बाद ख.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नं. 995 रकबा 68–09 बीघा की भूमि का आवंटन सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया तथा भूमि सिवायचक सरकार दर्ज कर ली गई। उक्त भूमि ख.नं. 995 प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक के पिता सुरतान सिंह के हिस्से में बंटवाडा के वक्त दी गई थी। ख.नं. 995 का आवंटन निरस्त होने से सुरतान सिंह के हिस्से में भूमि कम हो गई है, इस कारण बंटवारा निरस्त करवाने का निवेदन प्रत्यर्थी 1 जसवंत सिंह से किया गया, परंतु उसने बंटवारा निरस्त करने से मना कर दिया। अतः न्यायहित में बंटवारा आदेश दिनांक 05.08.1992 को निरस्त किया जाकर समस्त भूमियां पुनः सहखातेदारी में दर्ज की जावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अध्ययन/अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

6. (a)अपीलांट ने यह अपील दिनांक 05.08.1992 को उप तहसीलदार बालेसर द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमति के इकरारनामा के आधार पर आराजी विभाजन को अपास्त करने हेतु, दिनांक 15.07.2024 को 32 वर्ष पश्चात् पेश की है, जिसका एक ही आधार लिया है कि ग्राम खुडियाला का ख.नं. 995 रकबा 68–09 बीघा भूमि सहखातेदारान जसवंत सिंह, सुरतान सिंह व नरपत सिंह को सरकार द्वारा आवंटित की गई थी तथा वक्त बंटवारा यह भूमि प्रत्यर्थीगण 2 से 6 के पिता श्री सुरतानसिंह को दी गई थी, परंतु बंटवारा के बाद ख.नं. 995 की भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर दी गई, जिससे सुरतान सिंह के बंट में दी गई भूमि कम हो गई है, जबकि तीनों भाईयों को बंटवारा में बराबर भूमि दी जानी चाहिए। अतः बंटवारा दिनांक 05.08.1992 को निरस्त किया जाकर, सभी भूमियां पुनः सभी सहखातेदारान के नाम रिकॉर्ड में दर्ज की जावे, परंतु प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक (तथाकथित प्रभावित पक्ष) ने उपस्थित होकर, उनके शुभ चिंतक (अपीलांट्स) के अभिकथनों का समर्थन नहीं किया है। ज्ञातव्य है कि प्रत्यर्थीगण 2 से 6 तक के पिता सुरतान सिंह को बंटवारा में ख.नं. 991 में से 6–08 बीघा तथा ख.नं. 995 रकबा 68–09 बीघा कुल 74–17 बीघा बंटवारा में आंवटित की गई थी। अगर अपीलांट्स के कथनों पर विश्वास कर लिया जावे तो ख.नं. 995 की 68–09 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त हो जाने के पश्चात् ख.नं. 991 की सिर्फ 6–08 बीघा भूमि

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 64/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/82

ही सुरतान सिंह के पास शेष रहती है तथा जसवंत सिंह के पास 76–15 बीघा एवं नरपत सिंह के पास 75–15 बीघा भूमि रहती है। अतः तुलनात्मक दृष्टि से सुरतान सिंह के साथ भारी अन्याय हो जायेगा, परंतु हैरानी की बात यह है कि इतना ज्यादा अन्याय होने के बावजूद भी सुरतान सिंह या उनके वारिसान प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक, स्वयं ने आक्षेपित बंटवारा को निरस्त करवाने हेतु अपील पेश नहीं की है तथा न ही उनके शुभचिंतकों द्वारा (अपीलांट्स) प्रस्तुत अपील का समर्थन किया है।

(b)अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में खसरा सं. 995 की भूमि का आवंटन होने का सबूत, उक्त आवंटन को निरस्त करने बाबत पारित आदेश की प्रति, ख.नं. 995 की वर्तमान रिकॉर्ड की स्थिति से संबंधित अभिलेख पेश नहीं किया। वैद्य व मान्य अभिलेख के अभाव में मात्र अपीलांट्स के अभिवचनों के आधार पर 32 वर्ष पूर्व में किये गये बंटवारा को अपास्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, दिनांक 05.08.1992 के अपीलाधीन आदेश में अंकित ख.नं. 991. 1018, 1054, 995, 996, 990 की भूमियां वर्तमान में किन–किन व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन सभी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, 32 वर्ष पुराने विभाजन आदेश को निरस्त करना न्यायिक दुर्घटना होगी।

(c)न्यायहित में इस न्यायालय ने स्वप्रेरणा से उक्त ख.नं. की भूमि से संबंधित वर्तमान अभिलेखीय स्थिति का "अपना खाता" वेब पोर्टल से जानकारी प्राप्त की, तो निम्न स्थिति पाई गई। दिनांक 05.08.1992 को आदेश पारित करते समय उक्त ख.नं. की भूमियां ग्राम खुडियाला में थी, परंतु वर्तमान में ख.नं. 990, 991, 995, 996 की भूमियां नवसृजित ग्राम विजयनगर में है तथा ख.नं. 1018 व 1054 की भूमियां ग्राम खींवसर में है तथा निम्नानुसार दर्ज है:–

1. ख.नं. 990, 991/2 खाता सं. 28 ग्राम विजयनगर अपीलांट्स के नाम दर्ज है इसी प्रकार ग्राम खींवसर का ख.नं. 1018/1 खाता सं. 16 भी अपीलांट्स के नाम दर्ज है, जिसमें अपीलांट्स के अतिरिक्त भी सहखातेदार दर्ज है।
2. ख.नं. 991/1, ख.नं. 955 रकबा 11.0803 है. (68–09 बीघा) खाता सं. 33, ग्राम विजयनगर, प्रत्यर्थीगण 2 से 6 तक व अन्य 4 पुत्रियां, पत्नी के नाम दर्ज है, जिन्हें अपीलांट्स ने पक्षकार ही नहीं बनाया है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि बंटवारा आदेश में ख.नं. 995 रकबा 68–09 बीघा अंकित है,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

परंतु वर्तमान रिकॉर्ड में सुरतान सिंह के वारिसान के नाम ख.नं. 955 (नौ सो पचपन) रकबा 11.0803 है. (68–09 बीघा) भूमि दर्ज है। यह जांच का विषय है कि वास्तव में ख.नं. 955 है या ख.नं. 995 है। क्योंकि ख.नं. 995 का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार इन्द्रजात इस प्रकार है– ख.नं. 995 रकबा 0.5666 है. बादल कंवर, गुमान सिंह, जालम सिंह व फूला कंवर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है तथा ख.नं. 995/1 रकबा 0.1214 है. भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गै.मु. सडक दर्ज है, जिन्हे आवश्यक पक्षकार नहीं संयोजित किया है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कि ख.नं. 995 रकबा 68–09 बीघा भूमि सुरतान सिंह को बंटवारा में दी गई थी तथा आवंटन निरस्त होने से सिवायचक दर्ज हो गई थी, मानने योग्य नहीं है। चूंकि सुरतान सिंह के वारिसान के नाम बंटवारा में आवंटित अनुसार 74–17 बीघा वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज है, इसीलिए सुरतान सिंह स्वयं/उनके वारिसान ने न तो बंटवारा को आक्षेपित किया है तथा न ही इस अपील में प्रत्यर्थीगण होने के बावजूद किसी प्रकार प्रत्युत्तर पेश किया है। इस प्रकार अपील के अभिवचनों में अंकित तथ्य व अभिलेखीय स्थिति विरोधाभासी है।

3. ग्राम विजय नगर का ख.नं. 991 रकबा 1.0360 है. व ग्राम खींवसर का ख.नं. 1018 रकबा 5.7870 है. ख.नं. 1054 रकबा 4.4677 है. कुल 11.2907 है. (69–15 बीघा) भूमि जसवंत सिंह के नाम दर्ज है तथा ख.नं. 1054/1 रकबा 1.1331 है. अन्य के नाम दर्ज है।

4. ख.नं. 996 रकबा 7.1225 है. सरकारी खाता एक में दर्ज है। ख.नं. 996/1 रकबा 0.1619 है. भूमि ग्राम पंचायत के नाम उचित मूल्य की दुकान के नाम दर्ज है। ख.नं. 996/2 रकबा 0.3237 है. शिक्षा विभाग के नाम तथा ख.नं. 996/3 रकबा 0.8090 हैक्टर गै.मु. आबादी सरकारी खाता में दर्ज है जिसका कुल रकबा 8.4171 हैक्टर है।

बंटवारा आदेश दिनांक 05.08.1992 में ख.नं. 996/1 रकबा 52 बीघा भूमि नरपत सिंह को आवंटित की गई थी।

उपर्युक्त अभिलेखीय स्थिति अनुसार, अपीलांट्स ने विवादित आराजीयात के वर्तमान समस्त खातेदारों को आवश्यक पक्षकारों के रूप में संयोजित नहीं किया है, जिन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7. अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु धारा 5 म्याद कानून के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें यह कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण को बंटवारा पुनः करने का निवेदन किया था परंतु उन्होने इन्कार कर दिया तथा लंबे इंतजार के बाद आलोच्य आदेश की नकल लेने हेतु दिनांक 06.06.2024 को आवेदन किया। दिनांक 20.06.2024 को नकल प्राप्त हुई तथा दिनांक 14.07.2024 को अपील पेश कर रहे है। जानबूझकर देरी नहीं की है। इस प्रकरण में म्याद बिंदु लागू नहीं होता है। अतः देरी को माफ किया जावे। इस प्रार्थना पत्र में आवंटन आदेश कब निरस्त किया गया, प्रत्यर्थीगण ने पुनः बंटवारा करने से कब इंकार किया तथा उनके कब निवेदन किया गया, इन तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है तथा उक्त तथ्यों का अपील मीमों में भी उल्लेख नहीं है। अपील को म्याद अवधि की सीमा में लाने हेतु अपीलांट ने अपनी सुविधा से दिनांक 06.06.2024 को नकल हेतु आवेदन करना व दिनांक 20.06.2024 को नकल प्राप्त करने की तारीख से अपील पेश करने हेतु सीमा अवधि तय की है, जो विधि अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप अपील भी अवधि बाधित होने से अस्वीकार योग्य है।

8. उपर्युक्त के अतिरिक्त, पूर्वोक्त पैरा 6 में किये गये विवेचनानुसार, गुणावगुण पर भी यह अपील अस्वीकार योग्य है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित अभिवचनों के तथ्य तथा राजकीय अभिलेखों में अंकित अंतर्वस्तुएं का विवरण, एक दूसरे से विरोधाभासी है तथा अपीलांट्स के आक्षेप साबित नहीं होते है एवं अभिलेखों में अंकित सभी व्यक्तियों को अपील में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, जो कि विधि प्रावधानानुसार आवश्यक है। आक्षेपों को साक्ष्य से साबित करने का भार अपीलांट्स पर है।

9. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. उपर्युक्त निष्कर्षानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, बालेसर को लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 64/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/82

12. प्रकरण में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

13. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर